



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 47/2025

दायर दिनांक 07.08.2025

अनवान

01. निर्मला पत्नि रामलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. लीलादेवी पत्नि कैलाशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. नाथुलाल पुत्र कजोड़दास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी जावदा हाल मुकाम सलावटियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक :- 13 / 11 / 2025



संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 07.08.2025 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि मौजा ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलिया स्थित आराजी नम्बर 5 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 7 रकबा 0.1700 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 8 रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि में वादीया संख्या 1 का 3/8 व वादीया संख्या 2 का 3/8 हिस्से की भूमि का मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किए जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन हेतु रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलिया से ली गयी। तहसीलदार बिजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/1707 दिनांक 24.10.2025 से प्राथमिक डिक्री की रिपोर्ट, मौका पर्चा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वादीयागण के मना करने से मौका पर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार नहीं किया किन्तु मौका पर्चा ग्राम जावदा तैयार किया गया।


लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा


पेज संख्या 02

अतः मौजा ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलिया स्थित आराजी नम्बर 5 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 7 रकबा 0.1700 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 8 रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि में वादीया संख्या 1 का 3/8 व वादीया संख्या 2 का 3/8 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा प्रस्ताव हेतु प्रस्तुत वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्तर पर खारीज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 13 / 11 / 2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां





राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 47 / 2025

दायर दिनांक 07.08.2025

अनवान

01. निर्मला पत्नि रामलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. लीलादेवी पत्नि कैलाशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... डिक्रीदार

बनाम

1. नाथुलाल पुत्र कजोड़दास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी जावदा हाल मुकाम सलावटियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 13 / 11 / 2025

डिक्री दिनांक : 13 / 11 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ एकपक्षीय को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

मौजा ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलिया स्थित आराजी नम्बर 5 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 7 रकबा 0.1700 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 8 रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि में वादीया संख्या 1 का 3/8 व वादीया संख्या 2 का 3/8 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा प्रस्ताव हेतु प्रस्तुत वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्तर पर खारीज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।



लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

नीज ..... Nil ..... मुबलिया ..... Nil ..... बाबत् ..  
..... Nil ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil ..... फीसदी सालाना  
आज की तारीख से तारीख वसूल याबी तक ..... Nil ..... का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 11 वर्ष 2025 को जारी किया गया।



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दया	-		स्टाम्प अरजी दया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
मेहनताना वकील ( )	-		मेहनताना वकील ( )	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीश्नर	-		फीस कमीश्नर	-	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	-		बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां